

कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा कृषक-वैज्ञानिक इन्टरफेस एवं खेत में ही पराली प्रबन्धन के लिये कृषि यन्त्रों के प्रदर्शन का आयोजन

कृषि विज्ञान केन्द्र, भाकृअप-भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर, बरेली द्वारा आज दिनांक 31.10.2018 को गन्ना उत्पादक महाविद्यालय, बहेड़ी, बरेली में एक कृषक-वैज्ञानिक इन्टरफेस एवं कृषि यन्त्रों द्वारा खेत में ही पराली प्रबन्धन के प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम श्री राकेश पाण्डेय ने कृषि यन्त्रों द्वारा फसल अवशेषों के खेत में ही प्रबन्धन विषय पर पाँवर प्वाइंट द्वारा प्रस्तुतिकरण किया गया, जिसमें उन्होंने फसल अवशेषों को जलाने से पोषक तत्वों को होने वाली हानियाँ, पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य को होने वाली हानि आदि के बारे में जानकारी दी तथा साथ ही विभिन्न कृषि यन्त्रों जैसे मल्वर, श्रेडर, हैप्पी सीडर, जीरो टिलेज मशीन, रोटावेटर, रिक्सेबल मोल्ड बोर्ड प्लाऊ, बेलर आदि का प्रयोग कर फसल अवशेषों का खेत में ही प्रबन्धन करने एवं पराली का पशु आहार, मशरूम उत्पादन, पशुओं के विछावन, बायो/ओद्योगिक ईंधनों, पैकेजिंग मटीरियल, स्ट्राबोर्ड आदि विविध उपयोगों के सम्बन्ध में भी जानकारी दी। फसल अवशेषों को गलाने में यूरिया तथा वेस्ट डिकम्पोजर आदि के उपयोगों पर भी चर्चा की गई।



कृषि विभाग के विषय विशेषज्ञ श्री कुलजीत सिंह ने कृषि विभाग द्वारा कृषि यन्त्रीकरण के माध्यम से फसल अवशेषों के प्रबन्धन हेतु उपयोगी कृषि यन्त्रों पर अनुदान एवं उनकी खरीद प्रक्रिया की जानकारी दी। कृषकों द्वारा इस सम्बन्ध में विभिन्न प्रश्न रखे गये जैसे पंजाब तथा बरेली की परिस्थितियों में अन्तर होने के कारण क्या यह कृषि यन्त्र यहाँ भी उतने ही सफल होंगे, जिसके उत्तर में डा० बी०पी० सिंह, प्रभारी, कृषि विज्ञान केन्द्र ने अवगत कराया कि कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा मल्वर, हैप्पी सीडर, श्रेडर, जीरो टिलेज मशीन, कटर कम स्प्रेडर, रिक्सेबल मोल्ड बोर्ड प्लाऊ आदि यन्त्र खरीदे जा रहे हैं जिनका कृषकों के खेतों पर प्रदर्शन किया जायेगा ताकि कृषकों की इस समस्या का समाधान हो सके। कृषकों द्वारा पूछे गये प्रश्न में अलग-अलग परिस्थितियों के लिये किस प्रकार फसल अवशेषों का प्रबन्धन किया जाये के उत्तर में श्री राकेश पाण्डेय ने बताया कि धान की कम्बाईन से कटाई के बाद सीधे हैप्पी सीडर से बुवाई की जा सकती है या मल्वर से पराली व टूठों की कटाई के बाद जीरो टिलेज मशीन से बुवाई की जा सकती है। यदि धान की कटाई के बाद 20-25 दिन का समय उपलब्ध हो तो खेत में हल्का पानी भर कर कंधेर करके खेत तैयार किया जा सकता है। रिक्सेबल एम बी प्लाऊ से पराली तथा टूठों को दबाकर भी गलाया जा सकता है। इसके लिये 15 किग्रा० यूरिया/एकड़ अथवा वेस्ट डिकम्पोजर का प्रयोग करके और बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं। फसल अवशेष प्रबन्धन पर आने वाली लागत के सम्बन्ध में डा० ब्रजपाल सिंह ने अवगत कराया कि अधिकांश परिस्थितियों में लागत कम होती है तथा कुछ परिस्थितियों में लागत बढ़ती है, परन्तु खेत की उत्पादकता में होने वाली वृद्धि, पर्यावरण को होने वाले लाभ तथा मानव स्वास्थ्य पर होने वाले व्यय को देखे तो फसल अवशेष प्रबन्धन पर आने वाली लागत कुछ भी नहीं है।

कृषकों ने इन कृषि यन्त्रों की खरीद पर आने वाली लागत पर भी चर्चा की जिस पर कृषकों को अवगत कराया गया कि व्यक्तिगत उपयोग के लिये फसल अवशेष प्रबन्धन यन्त्र खरीदने पर सरकार की ओर से 50 प्रतिशत तथा कस्टम हायरिंग सेन्टर के लिये खरीद करने पर 80 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जा रहा है जिससे कस्टम हायरिंग सेन्टर स्थापित कर रोजगार सृजन तथा इसका लाभ क्षेत्र के छोटे एवं सीमान्त कृषकों को भी यन्त्रों की उपलब्धता के रूप में होगा।

साथ ही इस कार्यक्रम में , किसान एग्री ट्रेडर्स , किच्छ्रा तथा सिंह ट्रेडर्स बहेड़ी के सहयोग से गन्ना उत्पादक महाविद्यालय के फार्म पर पेडी स्ट्रा, चोपर, मल्चर, रिक्सेंबरल मोल्ड बोर्ड प्लाऊ, रोटोवेटर आदि कृषि यन्त्रों का उपयोग कर पराली का खेत में ही प्रबन्धन करने का प्रदर्शन भी आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बहेड़ी क्षेत्र के लगभग 127 कृषक, युवाओं एवं महिलाओ ने भाग लिया।

